

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
॥ अ धि सू च ना ॥

पटना-15, दिनांक 29 मार्च, 2017

संख्या : 1/सी0-03/2012-सा0 प्र0-3852/भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने अंकित तिथि से कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (अपर सचिव स्तर, वेतनमान स्तर-12, रु.78,800-2,09,200) में प्रोन्नति दी जाती है।

क्र.	पदाधिकारी का नाम एवं बैच	वर्तमान पदस्थापन	प्रोन्नति की तिथि
1	श्री संजय कुमार सिंह (2007)	राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना	दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से
2	श्री दीपक आनन्द (2007)	पदस्थापन की प्रतीक्षा में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना	दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से
3	श्री दिनेश कुमार (2007)	समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, शेखपुरा (अतिरिक्त प्रभार-बंदोबस्त पदाधिकारी, शेखपुरा)	दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

29/3/17
(कन्हैया लाल साह)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक : 1/सी0-03/2012-सा0प्र0-3852/पटना-15, दिनांक: 29 मार्च, 2017

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित(द्वारा-आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग)/सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नयी दिल्ली/संस्थापन पदाधिकारी, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/कैरियर मैनेजमेंट डिवीजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य

मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली/महालेखाकार, बिहार, पटना/राज्यपाल, बिहार के प्रधान सचिव, पटना/मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार के गोपनीय कोषांग, कम्प्यूटर सेल/संबंधित पदाधिकारी—(i) डॉ० एन० सरवन कुमार, भा०प्र०से०(बी एच :2000), माननीय केन्द्रीय मंत्री, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी (श्री रविशंकर प्रसाद), के आप्त सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/(ii) श्री श्रीधर चिरीबोलू, भा०प्र०से०(बी एच : 2001), उप निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी, उत्तराखण्ड /संबंधित विभाग/अवर सचिव (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी०डी० के साथ उपलब्ध कराने हेतु)/सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी (प्रशाखा-1 एवं प्रशाखा-6) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

2. श्री संजय कुमार सिंह (2007), राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना के गैर-संवर्गीय पद को भा०प्र०से० (वेतन) नियमावली, 2007 (अद्यतन संशोधित) के नियम-9(अनुसूची-II) के तहत अपर सचिव स्तर के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित किया जाता है ।

3. प्रोन्नत पदाधिकारी एफ आर 22(1)(ए)(2) के निम्नांकित प्रावधान के तहत आवश्यकतानुसार विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं:-

"Under FR 22(1)(a)(2) also there is a provision that on appointment on regular basis to such new post, other than to an ex-cadre post on deputation, the Government servant shall have the option, to be exercised within one month from the date of such appointment, for fixation of his pay in the new post with effect from the date of increment in the old post."

20/1
29/3/17
सरकार के अवर सचिव